

उपरखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छीपाबझौद जिला बारां (राज०)

आदेश पत्र सं. 8/18	धारा अंतर्गत इकराग	ग्राम रावां	तहसील छीपाबझौद
वादी रामदेव	वाद शीर्षक बनाम	प्रतिवादी विद्यालाल नदी	
वकील :-			

दिनांक	आदेश पत्रक	वकील :-
28-3-18	कार्यवाही एवं आदेश	

28-3-18
 अधिकाधिक डिपॉजिट का इकराग - फागुन
 के पेश की गये डिपॉजिट कोर्ट का कवरेज
 किया गया। उकराग दर्ज किया जाते हैं। यह
 उकराग के किसी अन्य काल कोर्ट है इसलिए
 आदेश नहीं है। मुदाबिंदु डिपॉजिट फागुन काल
 डिपॉजिट डिपॉजिट के तहसील छीपाबझौद को
 भिजा जाते प्रजावली कोर्ट फागुन डिपॉजिट डिपॉजिट
 2-5-2018 को पेश की।

ड. नं. 867
 पालक अ. वि. वि.

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कम
 पचावत. छीपाबझौद में दिनांक 28-6-18
 पेश हा' पक्षकाराण न नोटिज जारी
 किये जाव।
 14
 राज
 आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी
 छीपाबझौद जिला-बारां

28-6-18
 प्रजावली राजस्व लोक अदालत - फागुन काल
 यह केस छीपाबझौद पर आज पेश हुई
 तहसील छीपाबझौद यह उकराग /
 काल. डे. 867 डिपॉजिट 28-6-18 है मुदाबिंदु डिपॉजिट
 फागुन की गा. फुली के उकराग के मुदाबिंदु डिपॉजिट
 फागुन है उकी के किसी उकराग की कोर्ट
 कार्यावली किया जाना ऐसा नहीं है कम
 उकराग इसी हेतु पर ड्राप किया
 जाव है प्रजावली फागुन उकराग हेतु
 वास तहसील उकराग के डिपॉजिट नमूना है।